न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेशदेव आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–242/2022
वाद–पत्र अन्तर्गत धाराः–88 आर.टी.ए

सिकन्दर सिंह पुत्र अग्रेंज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादी

बनाम

1. अंग्रेज सिंह पुत्र गुलाव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. अमनजोत कौर पुत्री अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ राज0.
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय संगरिया जिला हनुमानगढ

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री एस.एस.खोसा –वकील वादी
2. श्री भीम पारिक –वकील प्रति सं.1ता2

–: **निर्णयः**– दिनांकः– 22/08/2022

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1ता2 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया मे चक 15 एम.जे.डी. खाता संख्या 02/02 व 13 एम. जे.डी खाता संख्या 02/02 में अराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी सग्लन वाद पत्र है। वाद–पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित अराजी का वादी नें प्रतिवादीगण के साथ घरु विभाजन कर रखा है घरु विभाजन में चक 15 एम.जे.डी. खाता संख्या 02/02 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की अराजी में वादी को1.265है0 अराजी प्राप्त हुई है। इसी अनुसार वादी का मौका पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त मे चली आ रही है । कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही हैं। वादी उक्त कब्जा काश्त की अराजी का खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एंवम दावेदार हैं। वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अराजी पर वादी का घरु विभाजन के रोज से शान्तिपूर्वक निरन्तर व लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एंवम दावेदार है। वादी में गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी के हक व हिस्सा कब्जा काश्त की अराजी राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे प्रतिवादीगण ने आजकल –आजकल कर टाल–मटोल कर दिया यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्म तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1व2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। इकबालदावा के साथ पक्षकारो की आईडी की चित्रप्रतिया स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी सिकन्दर सिंह ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 [illegible] किया जो शामिल पत्रावली है वकील वादी एंव प्रतिवादी [illegible] इसलिए साक्ष्य वादी एंव प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने [illegible] के साक्ष्य विरासतन साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कियेः–

1. चक 15 एम.जे.डी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता अंग्रेज [illegible] प्रदर्श–1 है।
2. चक 13 एम.जे.डी की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता अंग्रेज सिंह प्रदर्श–2 है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 15 एम.जे.डी खाता संख्या 02/02 खाता अंग्रेज सिंह के नाम से दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है।

दस्तावेजो को गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 15 एम.जे.डी खाता संख्या 02/02 प्रदर्श–1 व चक 13 एम.जे.डी खाता संख्या 02/02 प्रदर्श–2 करवाई गई है जिससे वाद–पत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना होना साबित है वादी एंव प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत इकबालदावा पेश किया है दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है इकबालदावा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। वाद वादी मुताबिक के इकबालदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः– वाद वादी मुताबिक सहमति इकबालदावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 15 एम.जे.डी खाता संख्या 02/02 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी सख्या 1 का नाम समस्त हिस्सा कि आराजी में नाम विलोपित कर वादी के नाम दर्ज कर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर। इकबालदावा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः–यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाणपत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांकः–22/8/22–को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/22

सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी संमरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

डिकी बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रकिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए

प्रकरण संख्या:–242/2022

सिकन्दर सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

वादी

बनाम

1. अंग्रेज सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0
2. अमनजोत कौर पुत्री अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ राज0.
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री एस.एस.खोसा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री भीम पारीक वकील प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है चक 15 एम.जे.डी खाता संख्या 02/02 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी सख्या 1 का नाम समस्त हिस्सा कि आराजी में नाम विलोपित कर वादी के नाम दर्ज कर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर। इक्बालदावा इस डिकी का भाग रहेगा।

नोट:– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति मे रहन मुक्त होने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज...X...नल..X.मुब्लिक..X..निल..X..बाबत..X..निल..X..खर्चा..X..मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालान आज की तारीख वसूलयाबी तक..X..अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 22/8/2022 को जारी किया गया।

22/8/22

सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested